"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2005—अग्रहायण 4, शक 1927

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005 दिनांक 28 जून, 2005 के कंडिका 8 (घ) में दिए गये प्रावधानानुसार राजपत्रित अधिकारी सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2005 में पुलिस विभाग (उप पुलिस अधीक्षक) की सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण को कम करते हुए एक भर्ती वर्ष के लिए 10 प्रतिशत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शौरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 24 नवम्बर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शौरी, उप-सचिव.

Raipur, the 24th November 2005

NOTIFICATION

No. F 2-8/2 (Home)/S.P.F./04.—In exercise of the powers conferred by the provisions 8 (d) provided in the Notification No. F 2-8/2 (Home)/S.P.F./04 dated 28 June 2004 regarding rules relating to recruitment and promotion in Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules 2005 of Police Department (Deputy Superintendent of Police) Direct Recruitment, State Government hereby reduce the percentage for the reservation of the post for women from 30% to 10% for one appointment year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
S. P. SHOURI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.